International Journal of Applied Research 2020; 6(2): 88-90

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 5.2
IJAR 2020; 6(2): 88-90
www.allresearchjournal.com
Received: 09-12-2019
Accepted: 13-01-2019

सविता मकवाना
राजनीति विज्ञान विभाग,
ज्योति विद्यापीठ महिला
विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान,
भारत।

Correspondence Author:
सविता मकवाना
राजनीति विज्ञान विभाग,
ज्योति विद्यापीठ महिला
विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान,
भारत।

महिला सशक्तिकरण के युग में घरेलू हिंसा

सविता मकवाना

सारांश
प्रतिवर्ष हम महिला दिवस बनाने है और महिलाओं की उन्नति पर विचार–विमर्श करते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक सभी क्षेत्रों में पुरूषों के समकक्ष होने की बात करते है पर महिला और पुरूष को समान अधिकार देने का समर्थन करते है पर सब व्यायवहारिक व्यवहार में भारतीय समाज में लागू नहीं होती। वर्तमान समय में भी भारतीय समाज मे नारी के साथ दोगला व्यवहार किया जाता है आधुनिक समय में नारी प्रगाति के पथ पर अग्रसर है परन्तु उसकी समस्याऐं आज भी उसके समक्ष खडी हुई है जिसका समाधान करना आवश्यक है नारी पर होने वाली विभिन्न हिंसा की दर प्रतिवर्ष बढ़ रही है जिसका निवारण करना आवश्यक है।

कूट शब्दः महिला सशक्तिकरण, युग, घरेलू हिंसा

प्रस्तावना
हम कह सकते है कि प्रत्येक काल में नारी की प्रस्थिति एक समान नहीं रही है। आदिम समाजों की जीवन शैली इस बात का प्रमाण है कि प्रायोगेतिहासिक काल में स्त्री–पुरूष में समानता विद्यमान थी। संगठित समाज की रचना, वर्तमान उत्पादन के साधनों में परिवर्तन परिवार व स्वामित्व तथा सम्पत्ति के महत्त्व उसकी असमानता, भेदभाव के कारण और स्त्री को अधीनता में रखने की प्रवृति के कारण इस प्रक्रिया का जन्म हुआ। इस प्रक्रिया ने विश्व की सभी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिकमूल्यमान को अर्थतन्त्र, राजनैतिक संस्था आदि कारकों का योगदान रहा। स्त्री द्वारा अधीनता की मनोवैज्ञानिक स्वीकृति ने ही महिला के विरूद्ध हिंसा का एक महत्त्वपूर्ण कारण रहा है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में प्रत्येक 54 मिनट में एक बलात्कार, 26 मिनट में छेड़छाड़, 40 मिनट में एक अपहरण और 102 मिनट में एक देहज हत्या का अपराध होता है यह आकड़े एक स्वस्थ समाज की तस्वीर को पेश नहीं करते है अपितु यह एक ऐसे बीमार समाज की तस्वीर पेश करते है जो अपनी संक्रीर्ण मानसिकता से पीड़ित है।
इडियन मेडिकल एसोसियन के अनुसार देश में हर वर्ष 50 लाख कन्या भ्रूण का गर्भपात होता है। भ्रूण परीक्षण सम्बन्धी पी. एन. डी. टी. अधिनियम 1994 में लागू किया गया परन्तु यह सम्पूर्ण भारत में सुचारू रूप से संचारित नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र की एक स्वयं सेवी संस्था की रिपोर्ट के आधार पर भ्रूण परीक्षण के बाद 8 हजार गर्भपात करवाये गये जिनमें से 7399 कन्याऐं थी। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक महिने 967 महिलायें बलात्कार का शिकार होती है। जिसमें से 50 प्रतिशत दस वर्ष से कम उम्र की लड़कियाँ होती है। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में महिलाऐं सबसे ज्यादा असुरक्षित है। यहाँ प्रत्येक दिन सात महिलायें बलात्कार की शिकार होती है जो सम्पूर्ण देश का 22 प्रतिशत है। उसके बाद उत्तरप्रदेश में प्रत्येक महीने में 146 महिलाऐं बलात्कार का शिकार होती है। राजस्थान, आन्धप्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में लगभग क्रमशः 74, 69, 68 व 62 बलात्कार के मामले दर्ज किये जाते है। राष्ट्रीय परिवार व स्वास्थ संगठन 2005 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाऐं अपने सम्पूर्ण जीवन काल में 33.5 प्रतिशत व 8.5 प्रतिशत शारीरिक शोषण का शिकार होती है। इन महिलाओं की उम्र 15 से 49 वर्ष होती है।
नेशनल क्राइम रिपोर्ट 2012 के अनुसार भारत में अपराध दर 46 मिनट में 1,00,000 बलात्कार 2 मिनट पर 10,000 दहेज उत्पीड़न 0.7 पर 1,00,000 घरेलू हिंसा का शिकार होती है।
थॉम्सन रॉयटर्स फाउडेशन के सर्वेक्षण के आधार पर भारत में महिलाओं की स्थिति को भारत में अति बुरा बताया गया है और भारत मे किये गये सर्वेक्षण के आधार पर यह कहे सकते है कि भारत में महिलाओं का दर्जा धन और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है व इस देश में कम उम्र में विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा व कन्या भ्रूण हत्या जैसे कारणों को स्पष्ट किया गया कि भारत में सात वर्ष पूर्व बना घरेलू हिंसा कानून महिलाओं के लिए एक प्रगातिशील कदम रहा है। परन्तु लिंग के

आधार पर भारत में हिंसा अभी भी होती है और सामान्य रूप से यह हिंसा विशेष रूप से अल्प आय वाले परिवारों में अधिक पाई जाती है।

भारत में राजधानी दिल्ली के आस–पास के इलाके में बलात्कार व देह व्यापार व महिलाओं की तस्करी का कार्य अधिक होता है। इस सर्वेक्षण ने सरकारी अध्ययन का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया है कि भारत में 51 प्रतिशत पुरूषों व 54 प्रतिशत महिलाओं ने पत्नियों की पिटाई को उचित ठहराया है।

वर्तमान समय में भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के स्वरूप में अनेक परिवर्तन आये है। पिछले कुछ वर्षों से देश में महिलाओं पर एसिड़ अटैक की घटनाओं में वृद्धि हुई है इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड़ जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग की धटनाऐं भी सामने आ रही है।

घरेलू हिंसा के मामलों के आधार पर राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान रहा है और इस आधुनिक समय में भी राजस्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित राज्य नहीं है। जयपुर में सेव द चिल्ड्रन व राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महिला संस्था रूवा के द्वारा आयोजित कार्यशाला में यह स्पष्ट किया गया की महिला हिंसा के मामले में जयपुर जिला प्रथम स्थान पर है जबकि अलवर दूसरे स्थान पर है व जैसलमेर, बीकानेर एवं सिरोही जिलों को सुरक्षित माना है।

घरेलू हिंसा का अर्थ

यदि परिवार का कोई भी पुरूष सदस्य अगर किसी महिला को मारता है या उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है बात करता है या उसको किसी भी चीज के लिए विवश करता है तो वह महिला घरेलू हिंसा कहलाती है।

घरेलू हिंसा की जड़े हमारे समाज में गहराई तक जम गई है यदि महिला इस हिंसा के विरूद्ध आवाज उठाती है तो इसका अर्थ समझा जाता है कि महिला अपने समाज व परिवार में परिवर्तन की बात कर रही है।

महिला सशक्तिकरण के इस युग में भी घरेलू हिंसा के मामलों दिनों–दिन बढ़ते जा रहे है।

भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा "ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है।" महिला हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाये है परन्तु महिलाओं के साथ होने वाली "घरेलू हिंसा" में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आई है और महिला विरूद्ध हिंसा हमारे देश में होने वाली रोजमर्रा होने वाली समस्या बन गई है। हर रोज महिला को मारना–पीटना, बेइज्जत करना, धमकाना तथा यौन रूप से प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित महिलाऐं प्रायः सामाजिक–सांस्कृतिक दबावों के कारण अपनी आवाज नहीं उठा पाती। भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की मुख्य धुरी परिवार है। परिवार ही वह इकाई है जो सदस्यों को मानसिक व सावेगहिक रूप से सहारा प्रदान करती है, परन्तु इसके साथ ही पारिवारिक समझोते, सामाजिक नियन्त्रण व समाजीकरण परिवार के द्वारा सदस्यों पर दबाव डाला जाता है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा

1. **पुलिस के अनुसार–** महिला वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा अपराध की श्रेणी में रखा गया है महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में दहेज प्रताड़ना तथा अकारण मार–पीट प्रमुख है।
2. **राज्य महिला आयोग के अनुसार –** कोई भी महिला यदि परिवार के पुरूष द्वारा की गई मारपीट अथवा प्रताड़ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी।

परिवार में महिला तथा उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट की धमकी देना व उत्पीड़न घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते है इसके अतिरिक्त लैगिंक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आती है।

घरेलू हिंसा के कारण

भारत में पितृसत्तात्मक को अधिक महत्त्व देने के कारण व लड़कियों को कमजोर व लड़कों को साहसी माना जाता है लड़कीयों का स्वतन्त्र व्यक्तित्त्व को जीवन की आरम्भ की अवस्था में ही कुचल दिया जाता है।

1. महिला के चरित्र पर संदेह करना
2. शराब की लत
3. इलैक्ट्रोनिक मीडिया का दुष्प्रभाव
4. महिला का स्वावलम्बी बनने से रोकना
5. समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव

घरेलू हिंसा के प्रकार

1. **शारीरिक हिंसा :–**

इस हिंसा में मारपीट करना, लात मारना, थप्पड़ देना या अन्य रीति से शारीरिक हिंसा करना।

2. **लैगिक हिंसा :–**

जैसे बलात् लैगिक हिंसा, अश्लील साहित्य को देखने को विवश करना, लैगिक मैथुन आदि

3. **मौखिक हिंसा :–**

अपमान करना, गालियाँ देना, विवाह के लिए विवश करना, पुरूष सन्तान न होना, नौकरी छोडने के लिए विवश करना।

4. **आर्थिक हिंसा :–**

महिला तथा अपने बच्चें को अपनी देखभाल के लिए धन न देना, महिलाओं को अपना रोजगार न करने देना, वेतन आदि ले लेना।

घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका उद्धेश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे मे अनेक प्रकार की हिंसा व दुर्व्यवहार आते है इस अधिनियम के अन्तर्गत घरेलू सम्बन्ध या नातेदारी में किसी भी प्रकार का व्यवहार, आचरण या बर्ताव जिससे आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन या किसी अंग को क्षति पहुँचती है। मानसिक व शारीरिक हानि होती है उसे घरेलू हिंसा कहते है। भारतीय संविधान में घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कुल 13 धाराऐं है।

घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम की धारायें निम्नलिखित होती है

धारा 4 – घरेलू हिंसा किया जा चुका हो या किया जाने वाला है कि सूचना कोई भी व्यक्ति संरक्षण अधिकारी को भी दे सकता है जिसके लिए सूचना देने वाले पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं तय की जायगी।

धारा 5 – यदि घरेलू हिंसा की कोई सूचना किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को दी गयी है तो उनके द्वारा पीड़िता को जानकारी देनी होगी।

1. उसे संरक्षण आदेश पाने की
2. सेवा अधिकारी की सेवा उपलब्धता
3. संरक्षण अधिकारी की सेवा उपलब्धता
4. मुफ्त विधक सहायता प्राप्त करना
5. परिवाद–पत्र दाखिल करने का अधिकार

धारा 10 – सेवा प्रदाता जो नियमित निबंधित हो वह भी मजिस्ट्रेट या सुरक्षा अधिकारी को हिंसा की सूचना दे सकता है।

धारा 12 – पीड़िता को या अन्य घरेलू हिंसा के बारे में या मुआवजा या नुकसान के लिए मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र दे सकता व सुनवाई तिथि तीन दिन के अन्दर निर्धारित होगी व निश्पादन 60 दिनों में होगा।

धारा 14 – मजिस्ट्रेट पीड़िता को सेवा प्रदाता से परामर्श लेने का निर्देश दे सकता है।

धारा 16 – पक्षकार ऐसी इच्छा करे तो कार्यवाही बन्द कमरे में हो सकेगी।

धारा 17, 18 – पीड़िता को साक्षी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा और कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त उसका निष्कासन नहीं किया जा सकेगा। उसके पक्ष में संरक्षण आदेश पारित किया जा सकेगा।

धारा 19 – पीड़िता को और उसकी सन्तान को संरक्षण प्रदान करते हुए संरक्षण देने का स्थानीय थाना में आदेश देने के साथ निवास आदेश पारित किया जा सकेगा व सम्पत्ति का कब्जा वापस करने का आदेश दिया जा सकेगा।

धारा 20–22 – वित्तिय अनुतोश – पीड़िता या उसके सन्तान को घरेलू हिंसा के बाद किये गये खर्च व हानि की क्षतिपूर्ति के लिए मजिस्ट्रेट आदेश दे सकेगा तथा भरण–पोषण का आदेश दे सकेगा एवं प्रतिकार आदेश भी दिया जा सकता है।

धारा 21 – अभिरक्षा आदेश सन्तान के सम्बन्ध में दे सकेगा या सन्तान से भेट करने का आदेश भी मजिस्ट्रेट दे सकेगा।

धारा 24 – पक्षकारों को आदेश के प्रति निःशुल्क न्यायलय द्वारा दिया जायेगा।

निष्कर्ष

इस आधुनिक युग में जहाँ महिलाऐं उन्नति के शिखर को प्राप्त कर रही है और अपनी पहचान बनाने के सफल हो रही है पर फिर भी महिलाऐं अपने पर होने वाली हिंसा को रोक नहीं पा रही है एवं लगातार हिंसा का शिकार हो रही है। सरकारी ऑकडों के अनुसार यह स्पष्ट होता है की भारतीय समाज में महिला हिंसा पर प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है। भारतीय संविधान ने हिंसा की रोकधाम के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित किया पर इसके पश्चात् भी महिला हिंसा पर वृद्धि पाई जा रही है। हम इसका मुख्य कारण महिला की मानसिकता को कह सकते है। जब तक महिला अपनी मानसिकता में परिवर्तन नहीं करती व स्वयं को पुरूष की अधिनता से मुक्त करने पर ही वह हिंसा पर नियन्त्रण कर सकती है।

संदर्भ

1. राष्ट्रीय अपराध ब्यूरों के ऑकडें
2. राम आहुजा (1987) सामाजिक समस्याऐंः महिलाओं के विरूद्व हिंसा, रावत प्रकाशन, जयपुर
3. सुधारानी श्रीवास्तव (2009): महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली
4. डॉ० सीता गुर्जर (2015): महिला सशक्तिकरण (नीति, कानून एवं योजनाऐं), हिमांशु पब्लिकेशन
5. तिवारी डी० के० एडवोकेट (2007): घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण